	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	कार्तिक 18, गुरुवार, शाके 1939–नवम्बर 9, 2017 *Kartika 18, Thursday, Saka 1939-November 9, 2017*	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 9, 2017

संख्या प. 2 (42) विधि/2/2017 :–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 9 नवम्बर, 2017 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता-निवारण) अधिनियम, 2017

(2017 का अधिनियम संख्यांक 37)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 9 नवम्बर, 2017 को प्राप्त हुई]

लाभ के कतिपय पद उनके धारकों को, राज्य की विधान सभा के सदस्य होने या सदस्य के रूप में चुने जाने से निरर्हित नहीं करते, यह घोषणा करने के लिए अधिनियम।

यत: राज्य में के लाभ के जो पद उनके धारकों को राज्य की विधान सभा के सदस्य होने या सदस्य के रूप में चुने जाने से निरर्हित नहीं करेंगे उनकी घोषणा करने वाली विधियों को समेकित और संशोधित करना समीचीन है;

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता-निवारण) अधिनियम, 2017 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. निर्वचन.- (1) जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में, "राज्य" से राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 37) की धारा 10 द्वारा निर्मित राजस्थान राज्य अभिप्रेत है।

(2) राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 8) के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, यथाशक्य इस अधिनियम पर लागू होंगे।

3. राज्य विधान सभा की सदस्यता के लिए निरर्हता का निराकरण और निवारण.- इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित पद, उनके धारकों को राज्य विधान सभा के सदस्यों के रूप में चुने जाने या सदस्य होने से निरर्हित नहीं करेंगे और उन्हें कभी भी निरर्हित किया गया है, यह नहीं समझा जायेगा, अर्थात्:-

(क) राज्य मंत्री या उप-मंत्री का पद;

(ख) सरकारी मुख्य सचेतक का पद;

(ग) सरकारी उप-मुख्य सचेतक का पद;

(घ) संसदीय सचिव या अवर संसदीय सचिव का पद;

(ङ) राजस्थान विधान सभा में विपक्ष के नेता का पद;

(च) लोक महत्व के किसी मामले के बारे में सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण को सलाह देने के प्रयोजन के लिए या ऐसे किसी मामले में जांच करने या उसके संबंध में आंकड़े इकट्ठे करने के प्रयोजन के लिए अथवा सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण के किसी कार्यक्रम की योजना बनाने, उसके समन्वय या क्रियान्वयन के लिए गठित समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्य का पद;

(छ) राष्ट्रीय केडट कोर अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 31) के अधीन समुत्थापित और संधारित राष्ट्रीय केडेट कोर में या प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 56) के अधीन समुत्थापित और संधारित प्रादेशिक

सेना में या आरक्षित तथा सहायक वायु सेना अधिनियम, 1952 (1952 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 62) के अधीन समुत्थापित सहायक वायु सेना या एयर डिफेन्स रिजर्व में के अधिकारियों द्वारा धारित पद;

(ज) खण्ड (च) में यथानिर्दिष्ट किसी ऐसी समिति से भिन्न समिति के अध्यक्ष या सदस्य का पद;

(झ) किसी कानूनी निकाय के अध्यक्ष, निदेशक, सदस्य या किसी अधिकारी का पद, जहां किसी ऐसे पद पर किसी को नियुक्त करने की शक्ति या किसी व्यक्ति को वहां से हटाने की शक्ति सरकार में निहित हो;

(ञ) किसी ऐसे बीमाकर्ता, जिसके नियन्त्रणाधीन कारबार का प्रबन्ध जीवन बीमा (आपात उपबन्ध) अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 9) के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो गया है, के अधीन लाभ का पद;

(ट) किसी सरकारी प्लीडर या विशेष सरकारी प्लीडर या सरकार की ओर के अधिवक्ता का पद जिनकी नियुक्ति विशेष रूप से किसी न्यायालय, अधिकरण, मध्यस्थ या अन्य प्राधिकरण के समक्ष राज्य सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध दायर किये गये किसी विशिष्ट वाद, मामले या अन्य कार्यवाही के संचालन के लिए की जाये;

(ठ) किसी सरकारी प्लीडर, विशेष सरकारी प्लीडर या राज्य सरकार की ओर के अधिवक्ता का पद, जिनकी नियुक्ति विशेष रूप से किसी न्यायालय, अधिकरण, मध्यस्थ या अन्य प्राधिकरण के समक्ष राज्य सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध दायर किये गये किसी विशिष्ट वाद, मामले या अन्य कार्यवाही में महाधिवक्ता, सरकारी अधिवक्ता या प्लीडर या विशेष सरकारी प्लीडर या सरकार की ओर के अधिवक्ता को सहायता देने के लिए की जाये; और

(ड) किसी पैनल-वकील का पद, यदि ऐसे पद का धारक किसी प्रतिधारण-शुल्क या वेतन का, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, हकदार नहीं है।

स्पष्टीकरण.- इस धारा में, जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(i) "समिति" से सरकार द्वारा गठित कोई समिति, आयोग, परिषद्, बोर्ड या व्यक्तियों का कोई अन्य निकाय, चाहे वह कानूनी निकाय हो या न हो, अभिप्रेत है;

(ii) "प्रतिकरात्मक भत्ता" से ऐसी धनराशि अभिप्रेत है जिसका, समिति के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को समिति की किसी बैठक में उपस्थित होने या समिति के सदस्य के रूप में कोई अन्य कृत्य करने में उसके द्वारा उपगत किसी व्यय की प्रतिपूर्ति करने में अध्यक्ष या अन्य सदस्य को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ते, प्रवहण भत्ते या मकान किराये भत्ते के रूप में संदेय होना सरकार अवधारित करे;

(iii) "दैनिक भत्ता" से तात्पर्य ऐसे दैनिक भत्ते से है जो समय-समय पर यथा संशोधित राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार राज्य विधान सभा के सदस्य को अनुज्ञेय दैनिक भत्ते की रकम से अधिक नहीं होगा;

(iv) "बीमाकर्ता" से जीवन बीमा (आपात उपबन्ध) अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 9) की धारा 2 के खण्ड (5) में यथा-परिभाषित कोई बीमाकर्ता अभिप्रेत है;

(v) "कानूनी निकाय" से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या अधीन स्थापित, रजिस्ट्रीकृत या निर्मित, या किसी ऐसी विधि के अधीन शक्तियों का प्रयोगकर्ता और कृत्यों का पालनकर्ता, कोई निगम, बोर्ड, कम्पनी,

सोसाइटी या व्यक्तियों का कोई अन्य निकाय, चाहे निगमित हो या न हो, अभिप्रेत है।

4. निरसन.- राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता-निराकरण) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं. 7) और राजस्थान विधान सभा सदस्य (निरर्हता-निवारण) अधिनियम, 1969 (1969 का अधिनियम सं. 5) इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं।

मनोज कुमार व्यास,
प्रमुख शासन सचिव।